



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13435

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 379 वर्ष 2026

तेजराम और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशीष श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. तहसीलदार, तहसील-नबाबगंज, जिला बरेली द्वारा दिनांक 13.11.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।
2. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के पास उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रावधान है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इसी के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका को इस आधार पर खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रावधान है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"